

E-Mail

बिहार सरकार  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग  
(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)

संचिका सं०- 02/भू0अ0नि0 (1) यो0बजट- (2023-24)-01/2023.../11/2023.....

प्रेषक,

जय सिंह, भा० प्र० से०  
निदेशक,  
भू-अभिलेख एवं परिमाण,  
बिहार, पटना।

40-29/02/2024

सेवा में,

समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी,  
सारण (छपरा)/नवादा/ भोजपुर(आरा)  
बन्दोबस्त पदाधिकारी  
खगड़िया/किशनगंज/बेगूसराय/जहानाबाद/मधेपुरा/सहरसा/लखीसराय

पटना दिनांक :-

विषय :- मुख्य शीर्ष- 2029-भू-राजस्व-उप मुख्य शीर्ष -00- लघु शीर्ष 102- सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य - उप शीर्ष -0101- सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्य का पुनरीक्षण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में बकाया वेतनादि मद में निधि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु आपके अंशिन कार्यालय में पदस्थापित कर्मियों के बकाया वेतनादि मद में आपके आवंटन अधियाचना के आलोक में कुल- 68,05,300/- (अड़सठ लाख पाँच हजार तीन सौ) रुपये मात्र का आवंटन निम्नानुसार निर्गत किया जाता है :-

क्र०सं०	कार्यालय का नाम	विषय शीर्ष					योग	अभियुक्ति
		01 01 वेतन	01 03 जी०या०भ०	01 04 म०कि०भ०	01 05 परिवहन भत्ता	01 06 चि० भत्ता		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी, सारण (छपरा)	152000	75000	10000	—	—	237000	बन्दोबस्त कार्यालय सारण का पत्रांक 22 दिनांक 27.01.2024 के आलोक में बकाया वेतन भुगतान हेतु
2	समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी, नवादा	95200	11500	3800	—	2000	112500	बन्दोबस्त कार्यालय नवादा का पत्रांक 93 दिनांक 20.12.2023 के आलोक में बकाया वेतन भुगतान हेतु
3	समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी, आरा (भोजपुर)	26100	1800	107800	83100	—	218800	बन्दोबस्त कार्यालय आरा के पत्रांक 13 दिनांक 03.02.2024 के आलोक में बकाया वेतन भुगतान हेतु
4	बन्दोबस्त पदाधिकारी, खगड़िया	1078500	—	—	—	—	1078500	बन्दोबस्त कार्यालय खगड़िया के पत्रांक 1023 दिनांक 21.02.2024 के आलोक में बकाया वेतन भुगतान हेतु

10

क्र०स०	कार्यालय का नाम	विषय शीर्ष					योग	अभियुक्ति
		01 01 वेतन	01 03 जी०या०भ०	01 04 म०कि०भ०	01 05 परिवहन भत्ता	01 06 चि० भत्ता		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	बन्दोबस्त पदाधिकारी, किशनगंज	427200	54200	35300	—	—	516700	बन्दोबस्त कार्यालय किशनगंज के पत्रांक 640-II दिनांक 09.12.2023 के आलोक में बकाया वेतन भुगतान हेतु
6	बन्दोबस्त कार्यालय, बेगूसराय	353000	55700	235600	88300	—	732600	बन्दोबस्त कार्यालय बेगूसराय के पत्रांक 2781 दिनांक 28.12.2023 के आलोक में बकाया वेतन भुगतान हेतु
7	बन्दोबस्त कार्यालय, जहानाबाद	203300	65000	16300	—	—	284600	बन्दोबस्त कार्यालय जहानाबाद के पत्रांक 102 दिनांक 30.12.2023 के आलोक में बकाया वेतन भुगतान हेतु
8	बन्दोबस्त कार्यालय, मधेपुरा	1050000	50000	—	—	—	1100000	बन्दोबस्त कार्यालय मधेपुरा के पत्रांक 98 दिनांक 24.01.2024 के आलोक में बकाया वेतन भुगतान हेतु
9	बन्दोबस्त कार्यालय, सहरसा	752700	—	—	—	—	752700	बन्दोबस्त कार्यालय सहरसा के पत्रांक 109 दिनांक 28.02.2024 के आलोक में बकाया वेतन भुगतान हेतु
10	बन्दोबस्त कार्यालय, लखीसराय	1598000	67000	106900	—	—	1771900	बन्दोबस्त कार्यालय लखीसराय के पत्रांक 659 दिनांक 13.10.2023 के आलोक में बकाया वेतन भुगतान हेतु
कुल योग :-		5736000	380200	515700	171400	2000	6805300	


(अड़सठ लाख पाँच हजार तीन सौ)

नोट :-1. जीवन यापन भत्ता मद में अधियाचना के अनुसार राशि उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वेतनादि मद के अन्य मद में आधिक्य राशि उपलब्ध कराया गया है, जिसे समेकित रूप से बकाया वेतनादि का भुगतान किया जा सकता है।

- यह आवंटन वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक - 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं राज्यादेश संख्या 1296 दिनांक 03.06.2022 के आलोक में निर्गत किया जाता है।
- अनुरोध है कि व्यय को आवंटन के अन्तर्गत रखते हुए राशि की निकासी की जाय।
- कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों को मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/इकाई कोड/माँग संख्या - 40 एवं विपत्र कोड 40- 2029001020101 अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से करने होंगे ताकि अनियमितता की संभावना नहीं रहे।

5. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा सकें।
6. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
7. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाणपत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
8. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।
9. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।
10. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

विश्वासभाजन

  
(जय सिंह)


निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण  
पटना, दिनांक 29/02/2024

ज्ञापांक :- 02/भू0अ0नि0 (1) यो0 बजट-(2023-24)-01/2023...1109.....

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना (बजट शाखा)  
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक

  
भू-अभिलेख एवं परिमाण  
पटना, दिनांक 29/02/2024

ज्ञापांक :- 02/भू0अ0नि0 (1) यो0 बजट-(2023-24)-01/2023...1109.....

प्रतिलिपि:- संबंधित सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक

  
भू-अभिलेख एवं परिमाण  
पटना, दिनांक 29/02/2024

ज्ञापांक :- 02/भू0अ0नि0 (1) यो0 बजट-(2023-24)-01/2023...1109.....

प्रतिलिपि :- संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

  
भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 02/भू0अ0नि0 (1) यो0 बजट-(2023-24)-01/2023...1109..... पटना, दिनांक 29/02/2024  
प्रतिलिपि :- श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, आई0टी0 सेल, भू-अभिलेख एट  
परिमाण, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

दिदेशक  
भू-अभिलेख/परिमाण